शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 18 – 25 मई 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या सिर्फ कागजों तक सीमित है रेरा की सख्ती?

⇨ 38 लाख की पेनल्टी वसूली पर उठे गंभीर सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये गठित हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HP RERA) अब खुद सवालों के घेरे में आ गयी है। आरटीआई के जरिए सामने आये दस्तावेजों और ऑडिट आपत्तियों ने विभाग की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और नियामक क्षमता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मामला केवल प्रशासनिक पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस संस्था की विश्वसनीयता से जुड़ गया है, जिसे प्रदेश में घर खरीदारों के हितों की रक्षा और बिल्डरों पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

आरटीआई दस्तावेजों से यह सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश रेरा ने वर्ष 2023 में ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (AIFORERA) को लगभग 2.36 लाख रुपये की सदस्यता राशि आर.टी.जी.एस.(RTGS) के माध्यम से जमा करवाई थी। इस भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा को अधिकृत पत्र भी जारी किया गया था। दस्तावेज बताते हैं कि विभाग ने राष्ट्रीय संस्था की सदस्यता और औपचारिकताओं को पूरा करने में तत्परता दिखाई। लेकिन इसी दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय से जुड़े पत्राचार में यह तथ्य सामने आया कि हिमाचल प्रदेश रेरा द्वारा प्रमोटरों पर लगाये गये लगभग 38.61 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली लंबित है।

यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। सवाल उठ रहा है कि यदि रियल एस्टेट नियामक संस्था खुद अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही, तो फिर बिल्डरों और प्रमोटरों पर नियंत्रण किस हद तक प्रभावी है। रेरा कानून को देशभर में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने वाला बड़ा सुधार माना गया था। इसका उद्देश्य था कि बिल्डर परियोजनाओं में देरी, गलत जानकारी, उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी और अनुबंध उल्लंघन जैसी गतिविधियों पर लगाम लगे। लेकिन जब जुर्माने की वसूली ही अधूरी रह जाए, तो कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है।

दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि ऑडिट टीम ने इस मुद्दे पर विभाग से जवाब और रिकॉर्ड मांगा था। यानी यह केवल सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी नहीं, बल्कि वित्तीय जवाबदेही से जुड़ा मामला है। सरकारी संस्थाओं में CAG ऑडिट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक धन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की निगरानी का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में लाखों रुपये की पेनल्टी वसूली लंबित होना एक साधारण त्रुटि नहीं माना जा सकता है।

रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नियामक संस्था की असली ताकत उसके आदेशों के क्रियान्वयन में होती है। यदि संस्था केवल आदेश जारी करे लेकिन उनकी वसूली और अनुपालन सुनिश्चित न कर पाये, तो उसका डर और प्रभाव दोनों कम होने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश रेरा के मामले में भी यही सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षो में रियल एस्टेट गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। शिमला, सोलन, धर्मशाला और बद्दी जैसे क्षेत्रों में निजी हाउसिंग परियोजनाओं का विस्तार हुआ है। हजारों लोग फ्लैट, प्लॉट और निवेश योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में रेरा को उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है।

लेकिन अब सामने आये रिक र्ड यह संकेत दे रहे हैं कि कागजों में सख्ती दिखाने और वास्तविक कारवाई के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। यदि प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया गया था तो उसकी वसूली क्यों नहीं हुई? क्या विभाग के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं? क्या मामले अदालतों में लंबित हैं? क्या प्रशासनिक स्तर पर कारवाई कमजोर रही? या फिर यह केवल प्रक्रिया संबंधी देरी है? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि विभाग की ओर से अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

आरटीआई के माध्यम से सामने आये दस्तावेजों ने यह भी दिखाया कि विभाग से वित्तीय और प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कई आवेदन दायर किए गए थे। अलग – अलग पत्रों के माध्यम से कई पन्नों की सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई। इससे यह संकेत मिलता है कि मामला लंबे समय से सूचनाओं और जवाबदेही की मांग से जुड़ा हुआ था।

सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल हिस्सा है और यदि कोई नियामक संस्था सवालों के घेरे में आती है तो उसकी जांच और जवाबदेही जरूरी हो जाती है।

इस पूरे मामले का एक बड़ा पहलू यह भी है कि रेरा जैसी संस्थाएं केवल प्रशासनिक कार्यालय नहीं होतीं, बल्कि वे निवेशकों और आम नागरिकों के भरोसे का आधार होती हैं। कोई व्यक्ति अपनी जीवनभर की कमाई घर खरीदने में लगाता है। ऐसे में यदि परियोजना में देरी हो, बिल्डर नियमों का उल्लंघन करे या उपभोक्ता को न्याय न मिले, तो रेरा ही अंतिम उम्मीद बनती है। लेकिन यदि उसी संस्था के आदेश लागू न हों, तो उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कई राज्यों में रेरा संस्थाओं को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में बिल्डर अदालतों में चले जाते हैं, जिससे वसूली प्रक्रिया लंबी हो जाती है। कुछ मामलों में प्रशासनिक सहयोग की कमी भी सामने आती है। यदि करोडों रुपये की परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाली संस्था अपनी पेनल्टी तक वसूल नहीं कर पा रही हो तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि संस्थागत कमजोरी का संकेत भी माना जाएगा।

राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है। सरकार और विभाग की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि वसूली प्रक्रिया कानूनी विवादों के कारण लंबित है और सभी कारवाई नियमों के तहत की जा रही है। लेकिन जब तक विभाग आधिकारिक रूप से विस्तृत स्थिति स्पष्ट नहीं करता, तब तक सवाल बने रहेंगे।

इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हिमाचल प्रदेश रेरा ने राष्ट्रीय संस्था AIFORERA की सदस्यता राशि समय पर जमा करवाई। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक और औपचारिक प्रक्रियाओं को लेकर विभाग सक्रिय था। यदि बाहरी सदस्यताओं और औपचारिकताओं में तत्परता दिखाई जा सकती है, तो उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में भी वही सक्रियता अपेक्षित है। यही तुलना अब बहस का केंद्र बनती जा रही है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता केवल कानून बनाने से नहीं आती, बल्कि उसके सख्त क्रियान्वयन से आती है। रेरा कानून लागू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि बिल्डरों की मनमानी कम होगी और उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिलेगा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश रेरा से जुड़े दस्तावेजों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नियामक व्यवस्था वास्तव में उतनी प्रभावी है जितनी दिखाई जाती है।

आने वाले समय में यह मामला केवल एक ऑडिट आपत्ति या आरटीआई खुलासे तक सीमित नहीं रहेगा। यदि पेनल्टी वसूली, कारवाई प्रक्रिया और लंबित मामलों को लेकर विस्तृत जवाब सामने नहीं आते, तो यह मुद्दा प्रशासनिक सुधार, नियामक जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी बहस में बदल सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश रेरा पर उठे इन सवालों ने प्रदेश के रियल एस्टेट नियमन तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि विभाग इन आरोपों और सवालों का जवाब किस तरह देता है।

जल संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर दिया जोर: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बने ऐतिहासिक भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन से जुड़े बुनियादी ढांचे और बांध की

कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। एशिया के सबसे बड़े ग्रेविटी बांधों में शामिल भाखड़ा बांध को स्वतंत्र भारत की इंजीनियरिंग विरासत का प्रतीक माना जाता है।

दौरे के दौरान राज्यपाल ने बांध की विशाल संरचना के भीतर स्थापित टर्बाइनों और विद्युत स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली उत्पादन मशीनरी की कार्यप्रणाली को करीब से देखा और इंजीनियरों व रखरखाव कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता तथा समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह टीम देश की इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति के सुरक्षित और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित कर रही है।

राज्यपाल को बांध की वर्तमान परिचालन स्थिति, जल भंडारण स्तर, बिजली उत्पादन क्षमता और संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चल रहे रखरखाव कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि भाखड़ा बांध कई राज्यों की सिंचाई, पेयजल और बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही यह उत्तरी भारत के जलविद्युत उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है।

राज्यपाल ने कहा कि भाखड़ा बांध आधुनिक भारत के निर्माताओं की दूरदृष्टि और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह कार्य कर रहा है। कृषि, उद्योग, पेयजल और ऊर्जा क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती ऊर्जा मांग के दौर में जल संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जलविद्युत परियोजनाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही है।

उन्होंने भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह टीम देश की सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं में से एक का अत्यंत पेशेवर तरीके से रखरखाव कर रही है।

इस अवसर पर सीपी सिंह और भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में लोक भवन और बांध प्रबंधन बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हिमाचल की बोलियों के संरक्षण पर राज्यपाल का जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल की स्थानीय

बोलियों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश की भाषाएं यहां की पहचान और परंपराओं की प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ी, मंडयाली, कुल्लवी, सिरमौरी और किन्नौरी जैसी बोलियों को साहित्य और लिखित माध्यमों से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे।

लोक भवन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ.ओ.पी. शर्मा ने राज्यपाल से भेंट कर अपनी कविता संग्रह 'म्हारी सोच' भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भाषाएं किसी भी समाज की आत्मा होती हैं और साहित्य सामाजिक मूल्यों व सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने हिमाचली साहित्य के प्रचार-प्रसार में डॉ. शर्मा के योगदान की सराहना की।

लेडी गवर्नर ने मानसिक पुनर्वास केंद्र का किया दौरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष एवं लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता ने शिमला के बालूगंज स्थित हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल का दौरा कर वहां उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरीजों के साथ संवाद कर उनका

हालचाल जाना और उन्हें फल व मिठाइयां वितरित कीं।

लेडी गवर्नर ने अस्पताल में उपलब्ध उपचार सुविधाओं, पुनर्वास सेवाओं और मरीजों की देखभाल व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान में दी जा रही सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग मानव सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के सदस्य नियमित रूप से ऐसे संस्थानों का दौरा कर जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आते हैं।

उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और मरीजों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा के माध्यम से तीन पुनर्वासित मरीजों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। झारखंड और बिहार के ये मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें सुरक्षित अपने गृह राज्यों तक वापस भेजने के लिए 5-5 हजार रुपये की सहायता दी गई।

मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेखा चोपड़ा ने लेडी गवर्नर को संस्थान की कार्यप्रणाली और मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी।

दौरे के दौरान लेडी गवर्नर ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ बैठक भी की और मरीजों की देखभाल तथा पुनर्वास सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा के सदस्य और पुनर्वास केंद्र के अधिकारी भी मौजूद रहे।

राज्यपाल ने मां नैना देवी से प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने बिलासपुर जिले स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में शीश नवाकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश और देशवासियों की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए मां नैना देवी से प्रार्थना की।

राज्यपाल ने मंदिर में पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया और मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में उनके आगमन पर श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि श्री नैना देवी जी मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

राज्यपाल ने कहा कि मां श्री नैना देवी का आशीर्वाद लोगों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि देवी की कृपा ही लोगों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ देश और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपाल के दौरे के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे परिसर में श्रद्धा एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला।

ग्रामीण शिक्षा की जमीनी हकीकत जानने स्कूल पहुंचे राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कांगड़ा जिला स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुजरेडा का दौरा

कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों के सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, मूलभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से आत्मीय बातचीत करते हुए उन्हें मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने बेहतर कक्षाओं, स्वच्छ शौचालयों, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुविधाओं का विस्तार समय की मांग है।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2.0 और पीजीआई-डी 2024-25 रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में छठा स्थान और राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ विद्यालयों के रणनीतिक समूह बनाने की अवधारणा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों और मानव बल का बेहतर उपयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलने के साथ प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की मजबूत नींव है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने शिक्षकों से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आहवान किया तथा दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

विभागीय परीक्षाएं अब 18 जून से होंगी आयोजित

शिमला/शैल। डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एमएसएचआईपीए) शिमला के विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य पात्र राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं अब 18 जून से 27 जून, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं पहले 28 अप्रैल से 7 मई, 2026 तक आयोजित होनी थीं, लेकिन अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। अब परीक्षाओं का आयोजन संशोधित समय-सारिणी के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला में आयोजित होंगी। वहीं, पेपर संख्या-1 (वित्तीय प्रशासन) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस पेपर की परीक्षा 18 जून, 2026 को राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में भी आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा की संशोधित समय-सारिणी एमएसएच आईपीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

चिट्टा मुक्त हिमाचल' मुहिम बना जनआंदोलन, 2.34 लाख लोग जुड़े

234 पंचायतें चिट्टा प्रभावित 'रेड जोन' घोषित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' मुहिम अब जनआंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। प्रदेशभर में अब तक 2.34 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और नशे के खिलाफ सरकार की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जनसहभागिता और जागरूकता के कारण नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से इन लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षित लोग अपने-अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं।

सरकार के अनुसार यह अभियान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक भागीदारी से जोड़कर चलाया जा रहा है। गांव-गांव में लोग अब नशे के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं और युवाओं को चिट्टे जैसी खतरनाक लत से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश के 2.34 लाख लोग सरकार की 'आंख और कान' बनकर काम कर रहे हैं। ये लोग नशा तस्करों और चिट्टे के कारोबार से जुड़ी सूचनाएं समय पर पुलिस तक पहुंचा रहे हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा समाज और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने में भी उनकी अहम भूमिका है।

सरकार ने 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के लिए पंचायत स्तर तक व्यापक योजना लागू की है। पंचायती राज और पुलिस विभाग को विशेष निर्देश जारी कर पंचायत स्तर पर चिट्टा सेवन करने वालों और नशा तस्करों की पहचान सुनिश्चित की गई है।

हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 234 पंचायतों को रेड श्रेणी में रखा गया है, जहां चिट्टे का प्रभाव सबसे अधिक पाया गया।

इन रेड जोन पंचायतों में विशेष निगरानी और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

सरकार ने पंचायत स्तर पर संवाद कार्यक्रम, युवा सहभागिता गतिविधियां और सामुदायिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी विशेष पहल की है। अभियान का उद्देश्य केवल नशा तस्करी रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देकर सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर नशा कारोबारियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

आतंकवाद विरोधी दिवस पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने भारत को आधुनिक तकनीकी युग की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश में तकनीकी विकास और डिजिटल सोच की मजबूत नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना भी राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम था। इससे महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली।

कार्यक्रम में सुरेंद्र चौहान, नरदेव कंवर, देवेंद्र श्याम, विशाल चंबियाल, उमा कौशल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कर्नाटक मॉडल से हिमाचल की सड़कों और शहरों को संवारने की तैयारी

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बेंगलुरु दौरे के दौरान सिद्धारमैया और

डी.के. शिवकुमार से मुलाकात कर विकास परियोजनाओं, शहरी ढांचे और आधुनिक सड़क निर्माण तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक को हिमाचल में भविष्य की अधोसंरचना योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में हिमाचल और कर्नाटक में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं, शहरी विकास परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। दोनों राज्यों के बीच विकास मॉडल साझा करने और सफल योजनाओं को अपनाने पर भी सहमति बनी।

विक्रमादित्य सिंह ने विशेष रूप से कर्नाटक में सड़क निर्माण और सड़कें पक्की करने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और यहां टिकाऊ एवं बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। कर्नाटक में अपनाए जा रहे मॉडल्स का अध्ययन कर उन्हें हिमाचल में लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल कर्नाटक भेजा जाएगा। यह दल वहां की अधोसंरचना परियोजनाओं, स्मार्ट शहरी विकास योजनाओं और सड़क निर्माण तकनीकों का अध्ययन करेगा।

बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने सिद्धारमैया को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया।

इस अवसर पर सिद्धारमैया ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक दोनों राज्यों की सरकारें एक-दूसरे की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का अध्ययन करेंगी, ताकि सफल नीतियों को साझा कर आम जनता को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने डी.के. शिवकुमार से भी मुलाकात कर प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

ट्रैक्टर चालकों को राहत देने की तैयारी चालान राशि कम करने पर विचार करेगी सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से ट्रैक्टर चालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं और मांगें उनके समक्ष रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि भारी-भरकम चालानों के कारण उन्हें रोज़गार चलाने और परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रैक्टर चालकों ने कहा कि बढ़ते जुर्माने और नियमों की सख्ती से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से राहत प्रदान करने और व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की।

इस पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रैक्टर चालकों की आजीविका से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से समझती है और उनके हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों की आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ट्रैक्टर चालान की राशि कम करने की संभावनाओं पर विचार करेगी। साथ ही ट्रैक्टर चालकों को परमिट देने के विकल्पों की भी जांच की जाएगी, ताकि उन्हें नियमों के दायरे में रहकर रोजगार चलाने में सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही ट्रैक्टर चालकों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

पंचायत चुनाव:31 हजार से अधिक पदों के लिए मतदान प्रक्रिया तेज, 86 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनावों को लेकर विस्तृत जानकारी जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। इनमें प्रधान, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पद शामिल हैं।

आयोग के अनुसार प्रधान और उप-प्रधान के 3754-3754 पदों, ग्राम पंचायत सदस्यों के 21,654 पदों, पंचायत समिति सदस्यों के 1769 पदों तथा जिला परिषद सदस्यों के 251 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई 2026 को पूरी हुई, जिसमें कुल 86,204 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जांच प्रक्रिया के दौरान 742 नामांकन पत्र रद्द किए गए। नाम वापसी के बाद 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए।

प्रदेश में मतदान तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक कराया जाएगा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, हालांकि प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेशभर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 16,539 सामान्य, 3554 संवेदनशील और 1585 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा जिला हमीरपुर में एक और जिला कांगड़ा में दो सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। आयोग ने जानकारी दी कि 26 मई को पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा और सभी मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं।

आयोग ने मतदाताओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होगा। मतदान केंद्रों में अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आयोग ने मतदाताओं से मतदान के तुरंत बाद केंद्र से प्रस्थान करने का भी आग्रह किया है।

हमीरपुर सर्किट हाउस की डॉरमीटरी अब ऑनलाइन बुक होगी विद्यार्थियों को मिलेगी सस्ती सुविधा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने विद्यार्थियों और आम लोगों की सुविधा के लिए सर्किट हाउस हमीरपुर स्थित 21 बेड वाली डॉरमीटरी को ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से जोड़ दिया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह सुविधा 20 मई 2026 से शुरू कर दी गई है और इसे एचपीपीडब्ल्यूडी के ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

नई व्यवस्था के तहत हिमाचली निवासियों के लिए प्रति बेड 100 रुपये तथा गैर हिमाचली निवासियों के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। विभाग का मानना है कि इस सुविधा से विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए हमीरपुर आने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी हिम अतिथि होटल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सस्ती और सुविधाजनक आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें निजी होटलों पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा और सुरक्षित ठहराव की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मई 2025 से 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर विश्राम गृहों और सर्किट हाउसों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा पहले ही शुरू कर चुकी है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी आवासीय सुविधाओं को आमजन के लिए अधिक पारदर्शी, सुलभ और सुविधाजनक बनाना है।

विभाग के अनुसार इस डिजिटल व्यवस्था के शुरू होने के बाद पर्यटकों, विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए सरकारी विश्राम गृहों तक पहुंच आसान हुई है। साथ ही इन सुविधाओं की अधिभोग दर यानी अक्यूपेंसी रेट में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में डिजिटल नवाचारों के जरिए नागरिक केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने और जनसुविधाओं में लगातार सुधार की दिशा में काम जारी रहेगा।

यदि धैर्य का कोई मूल्य है, तो वह समय के अंत तक बना रहना चाहिए।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आम आदमी की जेब ही असली अर्थव्यवस्था

देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरूण कुमार ने जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, वह आने वाले समय के बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट का संकेत है। उन्होंने जिन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह कहा कि देश इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकता है, जमीनी हालात पर नजर डालें तो यह चिंता पूरी तरह निराधार भी नहीं दिखती। पिछले कुछ वर्षो में लगातार यह दावा किया गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी ओर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, छोटे उद्योगों का बंद होना और युवाओं में बढ़ती निराशा ने इस चमकदार तस्वीर की हकीकत भी सामने रखी है। जीडीपी के बड़े आंकड़े और शेयर बाजार की ऊंचाई आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित नहीं बना पा रही। अरुण कुमार का कहना है कि देश में विकास तो दिख रहा है, लेकिन यह विकास रोजगार पैदा नहीं कर रहा। बड़े कॉरपोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ रहा है, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग लगातार आर्थिक दबाव में आ रहे हैं।

असल संकट यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों और कॉरपोरेट समूहों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है। छोटे व्यापार, स्थानीय बाजार और पारंपरिक रोजगार लगातार कमजोर हो रहे हैं। नोटबंदी और बिना पर्याप्त तैयारी लागू किए गए जीएसटी ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। देश के करोड़ों छोटे दुकानदार, कुटीर उद्योग, दिहाड़ी मजदूर और ग्रामीण रोजगार इस झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाये। महामारी ने बची हुई ताकत भी खत्म कर दी। सरकार ने राहत पैकेज और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं की घोषणा जरूर की, लेकिन जमीन पर उसका असर उतना व्यापक नहीं दिखा जितना प्रचारित किया गया। बड़े उद्योगों को राहत मिलती रही, लेकिन छोटे कारोबारी बैंक कर्ज, टैक्स और घटती मांग के दबाव में टूटते चले गये। यही कारण है कि आज बाजार में चमक दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी की जेब खाली महसूस होती है।

इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदारी केवल किसी एक सरकार या एक फैसले की नहीं है, बल्कि यह वर्षो से बनती हुई आर्थिक नीतियों का परिणाम है। विकास का मॉडल ऐसा बनाया गया जिसमें बड़े निवेश, बड़े प्रोजेक्ट और कॉरपोरेट केंद्र में रहे, जबकि कृषि, छोटे उद्योग और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था पीछे छूटती चली गई। सरकारों ने यह मान लिया कि ऊपर का विकास धीरे-धीरे नीचे तक पहुंच जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह रही कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। बेरोजगारी पर गंभीर नीति नहीं बन पायी। हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर रोजगार बाजार में आते हैं, लेकिन स्थायी नौकरियां नहीं मिल रहीं। सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है और निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट आधारित अस्थायी रोजगार बढ़ रहे हैं। शिक्षा महंगी होती जा रही है, लेकिन उसके बाद रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। यह स्थिति युवाओं के भीतर असुरक्षा और गुस्सा दोनों पैदा कर रही है।

आने वाले समय में इसका असर मध्यम वर्ग पर पड़ सकता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। शिक्षा, इलाज, मकान और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आम आय से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नौकरी की स्थिरता खत्म हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। डीजल, खाद, बिजली और बीज महंगे हो चुके हैं।

सबसे बड़ा खतरा सामाजिक असंतोष का है। जब युवा पढ़ाई के बाद बेरोजगार रहते हैं और मेहनत के बावजूद भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता, तब व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर होने लगता है। इतिहास गवाह है कि आर्थिक संकट केवल बाजार को नहीं तोड़ते, वे समाज और राजनीति को भी अस्थिर कर देते हैं। यदि लोगों की क्रय शक्ति कमजोर होती जाएगी तो बाजार भी धीरे-धीरे सिकुड़ने लगेगा। आखिर कोई भी उद्योग तब तक नहीं चल सकता जब तक लोगों के पास खरीदने की क्षमता न हो।

इस संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार को विकास की प्राथमिकताओं को बदलना होगा। केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कॉरपोरेट निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को सस्ती पूंजी, सरल टैक्स व्यवस्था और सरकारी संरक्षण देना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार यही क्षेत्र पैदा करता है। कृषि को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक आधार मानना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा।

सबसे बड़ी जरूरत ईमानदार आर्थिक बहस की है। आज राजनीति में धर्म, जाति और भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं। जब तक देश की राजनीति का केंद्र आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा नहीं बनेगा, तब तक संकट गहराता रहेगा। अरुण कुमार की चेतावनी को केवल आलोचना मानकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। देश को यह समझना होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति नहीं, बल्कि आम नागरिक की जेब और उसकी उम्मीद होती है। यदि आम आदमी आर्थिक रूप से कमजोर होता गया, तो आने वाला समय केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट का भी दौर बन सकता है।

भारतः अंतर धार्मिक संवाद का देश, जहां समय-समय पर पांथिक विमर्श भी जरूरी

गौतम चौधरी

भारत जैसे देश में धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि लोगों की स्मृतियों, संस्कारों, त्योहारों, जीवन पद्धति और जीवन-दृष्टि का हिस्सा है। यहां एक ओर वाराणसी की आरती है, तो दूसरी ओर अजमेर की दरगाह पर चढ़ती चादर, कहीं गुरुद्वारे का लंगर है, तो कहीं चर्च की घंटियां। यही बहुरंगी स्वर भारत की आत्मा बनाते हैं। लेकिन इतनी विविधता अपने साथ एक चुनौती भी लेकर आती है-एक-दूसरे को समझने की चुनौती। जब संवाद रुकता है, तब संदेह जन्म लेते हैं और जब संदेह बढ़ते हैं, तब समाज में दूरी, पूर्वाग्रह और टकराव पैदा होने लगते हैं। ऐसे समय में अंतरधार्मिक संवाद केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय जीवन की बुनियादी शर्त बन जाता है।

अंतरधार्मिक संवाद का अर्थ किसी को अपने धर्म में शामिल करना नहीं है, न ही यह साबित करना कि कौन-सा धर्म श्रेष्ठ है। इसका वास्तविक उद्देश्य है-एक-दूसरे को सुनना, समझना और सम्मान देना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी-अपनी आस्थाओं के साथ खड़े रहते हुए भी साझा मानवीय मूल्यों की तलाश करते हैं।

भारत का इतिहास इस विचार का जीवंत उदाहरण रहा है। ''विविधता में एकता'' कोई सरकारी नारा भर नहीं, बल्कि सदियों के सामाजिक अनुभव का निष्कर्ष है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले अलग-अलग मार्ग हैं। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति को उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। इन नेताओं ने समझा था कि भारत की स्थिरता केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और धार्मिक सहअस्तित्व से बनेगी।

दरअसल, भय अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। हम उसी से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं। जब एक हिंदू किसी मुस्लिम पड़ोसी के रोज़े के अनुभव को समझता है, जब एक सिख किसी ईसाई की प्रार्थना परंपरा को सुनता है, या जब एक जैन और बौद्ध अहिंसा के साझा विचार पर चर्चा करते हैं, तब धर्म केवल पहचान नहीं रह जाता-वह इंसानी अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ऐसे छोटे-छोटे संवाद वर्षो से जमी रूढ़ियों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं।

आज के डिजिटल दौर में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। सोशल मीडिया ने सूचना को तेज़ बनाया है, लेकिन कई बार सत्य से अधिक तेज़ी से झूठ फैलता है। धार्मिक अफवाहें, आधी-अधूरी जानकारियां और भड़काऊ संदेश समाज में अविश्वास पैदा करते हैं। यदि समुदायों के बीच पहले से संवाद और भरोसे का रिश्ता हो, तो लोग किसी वायरल संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाये उसकी सच्चाई परखने की कोशिश करते हैं। संवाद समाज के भीतर एक प्रकार की सामाजिक प्रतिरक्षा विकसित करता है।

अंतरधार्मिक संवाद कट्टरता और उग्रवाद के विरुद्ध भी एक प्रभावी औजार है। जब व्यक्ति खुद को अलग-थलग, अपमानित या अस्वीकारित महसूस करता है, तब वह चरमपंथी विचारों की ओर आकर्षित हो सकता है। संवाद उसे यह एहसास कराता है कि उसकी पहचान का सम्मान है और उसकी बात सुनी जा रही है। यही भावना समाज को टूटने से बचाती है।

भारतीय संविधान भी इसी भावना को मजबूती देता है। संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है और समानता की गारंटी करता है। लेकिन केवल कानून बना देने से सामाजिक सौहार्द स्थापित नहीं होता। उसके लिए समाज के भीतर विश्वास, संवेदनशीलता और सक्रिय सहभागिता चाहिए। अंतरधार्मिक संवाद संविधान के आदर्शों को रोज़मर्रा के जीवन में उतारने का माध्यम बन सकता है।

धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों की भूमिका यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब अलग-अलग धर्मो के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर शांति, करुणा और सहअस्तित्व की बात करते हैं, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। साझा सामाजिक कार्य-जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत या पर्यावरण संरक्षण-भी लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि मानवता का हित किसी एक धर्म की सीमा में बंधा नहीं है।

हालांकि, यह भी सच है कि अंतरधार्मिक संवाद आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, असहमति को स्वीकार करने का साहस चाहिए और सबसे बढ़कर सुनने की संस्कृति चाहिए। कई बार बातचीत असहज भी होती है, क्योंकि धर्म लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा विषय है। लेकिन संवाद से बचना समस्या का समाधान नहीं, वह केवल दूरियों को और गहरा करता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संवाद केवल बड़े सभागारों, सेमिनारों या बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित न रहे। इसकी वास्तविक सफलता तब होगी जब गांव के चौपाल, शहर के मोहल्ले, कॉलेज के परिसर और सामान्य परिवारों तक यह संस्कृति पहुंचे। जब आम लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होंगे, दुख-सुख बांटेंगे और बिना भय के बातचीत करेंगे, तभी बहुसांस्कृतिक भारत की आत्मा सच मायनों में मजबूत होगी।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। लेकिन विविधता तभी ताकत बनती है, जब उसे संवाद और सम्मान का आधार मिले। यदि समाज संवाद खो देता है, तो विविधता विभाजन में बदल सकती है, लेकिन यदि संवाद जीवित रहता है, तो यही विविधता भारत को दुनिया के सामने सहअस्तित्व का सबसे सुंदर उदाहरण बना सकती है।

जो देश अपने हथियार स्वयं बनाता है, वही अपना भाग्य स्वयं लिखता है: रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई, 2026 को शिरडी में निजी क्षेत्र की कंपनी एनआईबीई ग्रुप के रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा, जो राष्ट्र अपने हथियार स्वयं बनाता है, वह अपना भविष्य स्वयं लिखता है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। यह अत्याधुनिक परिसर उन्नत तोपखाने प्रणालियों, मिसाइल एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रणालियों, ऊर्जावान सामग्री तथा स्वायत्त रक्षा प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए विकसित किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की पहली 300 किलोमीटर की सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली सूर्यास्त्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस प्रणाली के लिए एक मिसाइल परिसर की आधारशिला भी रखी गई। इसके अलावा, समारोह के दौरान स्वदेशी टीएनटी संयंत्र प्रौद्योगिकी, आरडीएक्स संयंत्र प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय जैव-ऊर्जा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया। उपग्रह संयोजन के क्षेत्र में एनआईबीई समूह और ब्लैक स्काई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा मंत्री ने गोला-बारूद उत्पादन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया और विश्वास जताया कि यह परिसर रक्षा बलों की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन, जो पहले मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और आयुध कारखानों तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने निजी क्षेत्र की क्षमताओं को पहचाना है क्योंकि यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है।

राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के युद्धों का परिणाम देश की सैन्य शक्ति के आकार से नहीं, बल्कि गोला-बारूद और स्वचालन के क्षेत्र में उसकी प्रगति एवं क्षमताओं से निर्धारित होगा। उन्होंने कहा, इस वास्तविकता की झलक रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति में देखी जा सकती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह क्षमता प्रदर्शित की थी।

रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत के निजी उद्योगों को भविष्य के युद्ध की बारीकियों की गहरी समझ है और वे देश को अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारत को गोला-बारूद व स्वचालन के वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों का आहवान किया। सिंह ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और उन्नत प्रणालियों में मेक-इन-इंडिया को लगातार बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, हम गोला-बारूद और स्वचालित प्रणालियों में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं।

राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का मूल उद्देश्य सैनिकों की क्षमताओं को कम करना नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त बनाना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतिम निर्णय हमेशा मानव हाथों में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक हथियार प्रणालियां और स्वचालित तकनीकें भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाने जा रही हैं, इसलिए भारत के लिए इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। सिंह ने देशवासियों और रक्षा उद्योग से आहवान करते हुए कहा, आइए, हम सब मिलकर रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को पूर्णत: आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। रक्षा मंत्री ने रक्षा कंपनियों से भविष्य की चुनौतियों व युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की सामरिक एवं तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत बनाने का आग्रह भी किया।

रक्षा मंत्री ने पिछले एक दशक में रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहसिक नीतिगत सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उदारीकरण, रणनीतिक साझेदारी मॉडल की शुरुआत, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स), एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स (एडीआईटीआई) तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ) जैसी योजनाओं के शुभारंभ से युवा नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वीर सैनिक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की जा रही शक्ति के बल पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि एक समय था जब रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान नगण्य था और अब यह लगभग 25-30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को 50 प्रतिशत तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, जहां निजी उद्योग केवल पुर्जों का आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का नवप्रवर्तक और निर्माता बनकर उभर रहा है। जब सरकार की दूरदृष्टि निजी क्षेत्र के नवाचार से मिलती है, तभी राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है।

रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आज की दुनिया में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक सशक्त सेना तथा आधुनिक रक्षा क्षमताओं की नींव होती है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा निवेश, औद्योगिक विकास और समग्र विकास के लिए अनुकूल एक स्थिर वातावरण बनाती है। हालांकि, हम वर्तमान में व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर दुर्लभ खनिजों तक, लगभग हर चीज के शस्त्रीकरण को देख रहे हैं। सिंह ने कहा कि ऐसे समय में, हम अपनी रक्षा उत्पादन आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता केवल युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन संयंत्रों का उद्घाटन किया जा रहा है, वे अनुसंधान-उन्मुख केंद्र बनने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के लिए बना मिसाइल कॉम्प्लेक्स भारत की भविष्य की युद्ध क्षमताओं को एक नई दिशा प्रदान करेगा। सिंह ने कहा, स्वदेशी तकनीक से संचालित यह रॉकेट प्रणाली हमारी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी और रणनीतिक रूप से निर्णायक साबित होगी।

रक्षा मंत्री ने इस बात की सराहना की कि यह परिसर न केवल उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए, बल्कि लघु एवं मध्यम उद्यमों, छोटे पैमाने के उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा, गोला-बारूद, मिसाइलों, रॉकेट प्रणालियों और उपग्रह घटकों का उत्पादन सहायक इकाइयों, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को रोजगार प्रदान करेगा। इससे रोजगार सृजित होगा और इस क्षेत्र के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी कौशल से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया पहलों के माध्यम से देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सैनिकों की अद्वितीय वीरता और देश की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय व समान भागीदारी के कारण भारत के रक्षा तंत्र में परिवर्तन आया है और यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए रक्षा बलों को निरंतर मजबूती प्रदान करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक शक्ति को बढ़ाते हुए वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है।

इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, लघु एवं मध्यम उद्यमों की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन और उद्योग जगत के नेताओं तथा रक्षा क्षेत्र के हितधारकों के साथ संवाद भी शामिल थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत, जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण ई. विखेपाटिल, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत, अन्य वरिष्ठ नागरिक एवं सैन्य अधिकारी, रणनीतिक साझेदार तथा उद्योग जगत के हितधारक इस अवसर पर उपस्थित थे।

आयुष मंत्रालय ने लू और अत्यधिक गर्मी की स्थिति को देखते हुए जन स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की

देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत आयुष वर्टिकल ने आयुष मंत्रालय के समन्वय से वर्तमान ग्रीष्म ऋतु के लिए अत्यधिक गर्मी/लू पर एक व्यापक जन स्वास्थ्य सलाह जारी की है।

इस परामर्श में आम जनता, संवेदनशील समूहों, नियोक्ताओं, श्रमिकों तथा बडे सार्वजनिक और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे तेज धूप में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है।

परामर्श में यह भी बताया गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, खुले में काम करने वाले श्रमिक और हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति लू की स्थिति में विशेष रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं तथा उन्हें अतिरिक्त देखभाल एवं निगरानी की आवश्यकता होती है।

कार्यस्थलों, सार्वजनिक आयोजनों तथा बाहरी गतिविधियों के लिए विशेष सावधानियां सुझाई गई हैं, जिनमें छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था, नियमित जलपान अवकाश, श्रमिकों के लिए अनुकूलन उपाय तथा गर्मी के तनाव के लक्षणों के प्रति जागरूकता बढाना शामिल है।

इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरनाक संकेतों- जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अत्यधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना यानी बेहोशी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। हीटस्ट्रोक को एक चिकित्सा आपातस्थिति बताया गया है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक है। गंभीर मामलों में तुरंत 108/102 आपातकालीन हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के आयुष वर्टिकल द्वारा जारी अधिशेष के अंतर्गत इस परामर्श में आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य एवं निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है, ताकि लू की स्थिति से मुकाबला किया जा सके।

आयुर्वेद विभाग ने शीतल आहार पद्धातियों, मठ्ठा, नारियल पानी और नींबू आधारित पेय जैसे शरीर को तरलता प्रदान करने वाले पेय पदार्थों के सेवन तथा निम्बुकफला पनाका, आम्र प्रपनाका और चिंचा पनाका सहित पारंपरिक उपयोग की सलाह दी है, ताकि अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायाता मिल सके।

सिद्ध और योग अनुभागों में शीतलता प्रदान करने वाले पेयों तथा शीतली प्राणायाम और हल्के योग अभ्यासों को अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि शरीर में ताकि संतुलित बना रहे और गर्मी के तनाव को कम किया जा सके।

यूनानी पद्धति धूप से झुलसने और डीहाईड्रेशन को रोकने के लिए पारंपरिक ठंडे पेय और हर्बल लेप की सलाह देती है, जबकि होम्योपैथी अत्यधिक भीषण गर्मी के दौरान एहतियाती उपाय करने की सिफारिश करती है।

परामर्श में जनता को गर्मी के मौसम में अपने दैनिक आहार में खीरा, तरबूज, नींबू, खरबूजा, लौकी और टमाटर जैसी हाइड्रेटिंग और शीतलता देने वाले पारंपरिक खाद्य सामग्रियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

नागरिकों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी अद्यतन विवरण पर नियमित रूप से ध्यान देने और लू संबंधी चेतावनियों के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है।

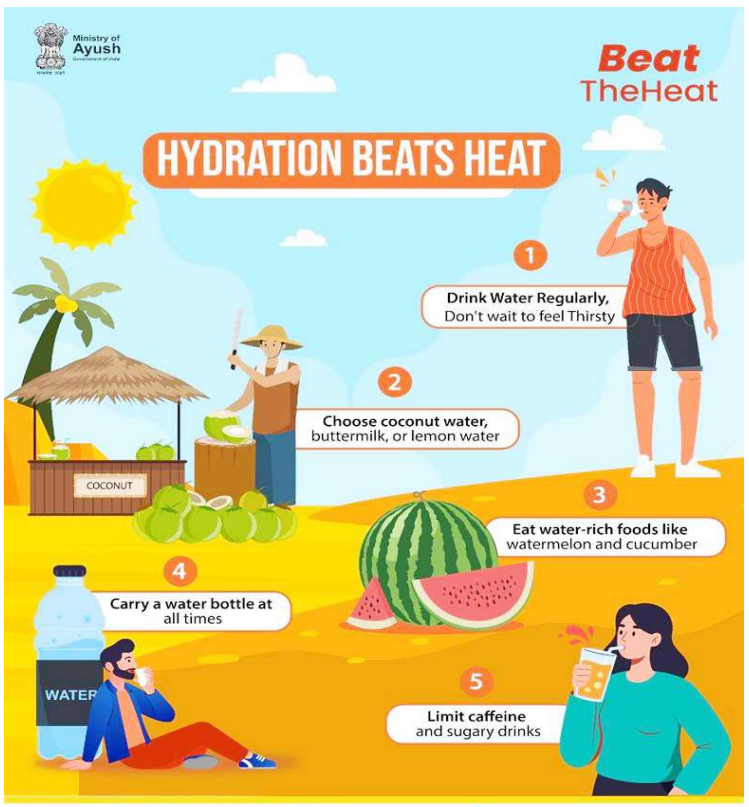

पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने में जुटी सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री ने शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग को मजबूत

करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा पर्यटन मॉडल विकसित करना है, जिससे प्रदेश आने वाले पर्यटक केवल दो-तीन दिन नहीं बल्कि 8 से 10 दिन तक हिमाचल में ठहरें। इसके लिए हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पालमपुर, हमीरपुर, धर्मशाला और चंबा हेलीपोर्ट में जून तक हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं रिकांगपिओ हेलीपोर्ट से बॉर्डर टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि शिमला में बड़े हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। संजौली हेलीपोर्ट में तकनीकी दिक्कतों के चलते अब दूसरे स्थान पर जमीन चिन्हित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को गति देने के लिए सुरंगों, रोपवे और सड़क संपर्क को मजबूत करने पर भी सरकार फोकस कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला, मनाली, कसौली और शिमला जैसे पर्यटन शहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 3500 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। जून तक यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद विस्तार कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि भुंतर एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग भूमि उपलब्ध करवाते हैं तो सरकार उसके विस्तार पर भी विचार करेगी। इसके अलावा जोगिंद्रनगर से भुभूजोत टनल निर्माण की योजना से कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन में 500 करोड़ रुपये की लागत से 5000 लोगों की क्षमता वाला विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। वहीं कांगड़ा जिले में 600 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर भी स्थापित किया जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नैना देवी, ज्वालाजी और चिंतपूर्णी शक्तिपीठों के विकास पर इस वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शिमला में आईस स्केटिंग रिंक के समीप अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के सौंदर्यकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। बिजली और अन्य तारों को भूमिगत किया जा रहा है। सर्कुलर रोड चौड़ीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि टालैंड से आईजीएमसी तक 900 करोड़ रुपये की लागत से सुरंग बनाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि शिमला की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए सतलुज नदी से सुन्नी क्षेत्र के पास पानी लिफ्ट करने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा सरकार होटल, वेलनेस सेंटर और वे-साइड सुविधाओं के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। मनाली में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा और नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र से मिलने वाले टैक्स में भारी कमी आयी है। पहले जहां प्रदेश को लगभग 4000 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे, वहीं अब केवल 150 से 200 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने निवेशकों से पर्यटन क्षेत्र में आगे आकर निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग और सुविधाएं प्रदान करेगी।

जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिली निदेशक जनगणना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना-2027 में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है। निदेशक जनगणना निदेशालय

हिमाचल प्रदेश दीप शिखा शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें जनगणना-2027 की तैयारियों और प्रक्रिया की जानकारी दी।

दीप शिखा शर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य होगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि इस बार लोगों को 'स्व-गणना' की सुविधा भी दी गई है। प्रदेशवासी 1 जून से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने se.census.gov.in पोर्टल उपलब्ध कराया है।

जनगणना प्रक्रिया इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी। प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल फोन के जरिए सरकार द्वारा तय किए गए 33 प्रश्नों के आधार पर घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे।

निदेशक जनगणना के अनुसार हिमाचल के हिमाच्छादित क्षेत्रों में दूसरे चरण का कार्य 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि राज्य के शेष क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जनगणना लोकतंत्र और विकास की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध करवाएं।

5 जून को शिमला में होगी 'एंटी-चिट्टा एंड क्लीन एनवायरमेंट मिनी मैराथन'

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को शिमला के रिज मैदान से 'Anti-Chitta & Clean Environment Awareness Mini

Marathon 2026' का आयोजन करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे, विशेषकर 'चिट्टा', के खिलाफ जागरूक करना तथा स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

यह आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस और Department of Environment, Science, Technology and Climate Change की संयुक्त पहल है। कार्यक्रम में पुलिस, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, खेल संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण समूहों की भागीदारी रहेगी।

मैराथन के तहत 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन और 3 किलोमीटर की ड्रीम रन आयोजित की जाएगी। प्रतिभागियों को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा, जबकि दौड़ को सुबह 6:15 बजे हरी झंडी दिखाई जाएगी।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है। पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन का रूप देना जरूरी है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल का युवा राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और इस तरह के अभियान युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में मदद करेंगे। उन्होंने लोगों से इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने की अपील की।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि 'चिट्टा' के खिलाफ लड़ाई सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करेगी।

कार्यक्रम का संदेश 'Run for a Clean Environment, Chitta Free Life' रखा गया है। पुलिस का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिभागी को नशामुक्त और स्वच्छ हिमाचल के अभियान का दूत बनाना है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विद्यार्थियों, युवाओं, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस जागरूकता अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।

आईआईआईटी ऊना में शुरू होगा एमएससी गणित एवं कंप्यूटिंग कार्यक्रम

शिमला/शैल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमएससी गणित एवं कंप्यूटिंग नामक नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईआईटी ऊना की यह पहल तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, वित्तीय विश्लेषण और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

दो वर्षीय इस कार्यक्रम में गणित और आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीकों का समन्वय किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ-साथ प्रोग्रामिंग और तकनीकी कौशल भी प्राप्त होंगे। पाठयक्रम में रैखिक बीजगणित (Linear Algebra), प्रायिकता (Probability), डेटा स्ट्रक्चर एवं एल्गोरिद्म, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी और पैरलल कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य भी कराया जाएगा ताकि वे उद्योग और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस कार्यक्रम में पहले वर्ष के बाद डिप्लोमा के साथ एग्जिट ऑप्शन की सुविधा भी दी गई है।

कार्यक्रम में प्रवेश आईआईटी जैम (IIT JAM) के अंकों के आधार पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एम.एससी./एम.एससी. (टेक.) एडमिशन (CCMN) काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान के निदेशक प्रो. मनीष गौर ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, वित्तीय प्रौद्योगिकी और अनुसंधान जैसे उभरते क्षेत्रों में बेहतर करियर अवसर प्रदान करेगा।

फोर्टिस मोहाली में 88 वर्षीय बुजुर्ग का लेजर एंजियोप्लास्टी से सफल इलाज

शिमला/शैल। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के कार्डियोलॉजी विभाग ने अत्याधुनिक एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (ईएलसीए) तकनीक की मदद से 88 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को नया जीवन दिया है। डायबिटीज से पीड़ित इस मरीज को सीने में तेज दर्द और दबाव की शिकायत के बाद पहले पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में पता चला कि करीब 30 वर्ष पहले नई दिल्ली में डाले गए स्टेंट पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे और उनमें भारी मात्रा में कैल्शियम व स्कारिंग जमा हो चुकी थी। अधिक उम्र के कारण मरीज ओपन हार्ट सर्जरी के लिए फिट नहीं था, जबकि सामान्य एंजियोप्लास्टी और दोबारा स्टेंट डालना भी संभव नहीं माना गया।

इसके बाद मरीज को फोर्टिस अस्पताल मोहाली लाया गया, जहां विभागाध्यक्ष एवं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉ. आरके जसवाल और उनकी टीम ने फिलिप्स-इंडिया की अत्याधुनिक ईएलसीए तकनीक से सफल उपचार किया। इस प्रक्रिया में हाई-इंटेंसिटी लेजर लाइट की सहायता से हृदय की धमनियों में जमा ब्लॉकेज को पूरी तरह हटाया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी सामान्य रही और दो दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

डॉ. जसवाल ने बताया कि सामान्य एंजियोप्लास्टी में हाई-प्रेशर बैलून डाइलेशन के जरिए ब्लॉकेज को फैलाया

जाता है, जिससे कई बार धमनी अचानक बंद होने या ब्लॉकेज के छोटे हिस्से के अन्य शाखाओं में चले जाने का खतरा रहता है। इसके विपरीत ईएलसीए तकनीक ब्लॉकेज को पूरी तरह समाप्त कर देती है और धमनियों में जमा चर्बी व अवरोध को साफ कर देती है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक खासकर गंभीर हार्ट अटैक, पुराने स्टेंट फेल होने, छोटी धमनियों और जटिल ब्लॉकेज वाले मरीजों के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रही है।

आर्थिक प्रगति के साथ संस्कृति बचाना भी जरूरी : राज्यपाल

युवा केवल नौकरी नहीं रोजगार देने वाले बनें

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में आयोजित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत 'युवा संगम' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि तेजी से बदलते दौर में आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

कार्यक्रम में एनआईटी पुडुचेरी के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने युवाओं से आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार पाने तक सीमित न रहें, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बनें।

राज्यपाल ने कहा कि 'युवा संगम' जैसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और युवा सशक्तिकरण को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम हैं। भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और ऐसे आयोजन युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर देते हैं।

उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक विविधता से परिचित करवाने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि भाषाएं, खान-पान, वेशभूषा और परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश की एकता की भावना सबको जोड़ती है।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को स्थानीय लोगों से संवाद करने और प्रदेश की लोक परंपराओं व सामाजिक जीवन को करीब से समझने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता तथा नवाचार देश के भविष्य को नई दिशा देंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने एनआईटी पुडुचेरी के प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया। कार्यक्रम में दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भारत की विविधता में एकता की सुंदर झलक पेश की।

कार्यक्रम में प्रो. हरमोहिंदर सिंह बेदी, प्रो. सत प्रकाश बंसल, डॉ. गौरीशंकर, शिक्षकगण, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

डीडी न्यूज़ शिमला में 'म्हारा हिमाचल' पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारम्भ

'अपने लोग, अपने किस्से' थीम पर आधारित होगा नया मंच

शिमला/शैल। डीडी न्यूज शिमला ने संचार और संवाद के क्षेत्र में नई पहल करते हुए 'म्हारा हिमाचल' नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो की शुरुआत की है। इस पॉडकास्ट की टैगलाइन 'अपने लोग, अपने किस्से' रखी गई है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक कहानियों और विशिष्ट व्यक्तित्वों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारम्भ ममता वर्मा, महानिदेशक दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली ने रिमोट के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार दर्शकों को बेहतर और प्रेरणादायक सामग्री से जोड़ने में सहायक होंगे।

उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि 'म्हारा हिमाचल' के माध्यम से समाज के कई ऐसे लोगों की उपलब्धियों और संघर्ष की कहानियां सामने आएंगी, जिनके बारे में आम लोग अब तक कम जानते हैं।

नंदिनी मित्तल, प्रमुख डीडी न्यूज़ शिमला ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य देवभूमि हिमाचल में बिखरी प्रेरणादायक कहानियों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट में युवाओं के सपने, स्टार्टअप की सफलताएं, पहाड़ी जज्बे, महिलाओं की उपलब्धियां और हिमाचल की विशिष्ट हस्तियों से जुड़े रोचक किस्से प्रस्तुत किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 'म्हारा हिमाचल' के पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश-विदेश में रहने वाले लोग भी हिमाचल की संस्कृति और कहानियों से जुड़ सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो और विभिन्न कलाकारों ने हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां भी दीं। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्लस्टर हेड कश्मीर सिंह सहित दूरदर्शन, आकाशवाणी और पीआईबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से ठीक पहले हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदलती जा रही है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तुरंत और कड़ी कारवाई की मांग की है। जयराम ठाकुर का आरोप है कि पंचायत चुनावों में मतदान से ठीक पहले सरकार ने वोटरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक में लोकलुभावन फैसले लिए और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में प्रचारित करवाया गया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने पहले यह दिखाने की कोशिश की कि कैबिनेट की मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन बाद में फैसलों को जानबूझकर लीक किया गया ताकि चुनावी माहौल में राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी नियमों के खिलाफ है। भाजपा का दावा है कि उसके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सरकार की ओर से इन फैसलों को प्रचारित करने के लिए दबाव बनाया गया।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने अनेक बजट घोषणाएं कीं, लेकिन उनमें से अधिकांश अब तक धरातल पर नहीं उतर सकीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही सरकार फिर से घोषणाओं की राजनीति कर रही है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार की कार्यशैली को समझ चुकी है और केवल कागजी घोषणाओं से प्रभावित नहीं होने वाली।

उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच करवाई जाए और यदि आचार संहिता उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाए। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है।

पंचायत चुनावों के बीच उभरा यह विवाद आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और अधिक गर्मा सकता है। भाजपा जहां इसे चुनावी लाभ लेने की कोशिश बता रही है, वहीं सरकार की ओर से अब तक इस आरोप पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

हर्ष महाजन राज्यसभा याचिका समिति के सदस्य बने

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को राज्यसभा की महत्वपूर्ण याचिका समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के पुनर्गठन की अधिसूचना 21 मई 2026 को जारी की गई। इस नियुक्ति को हिमाचल प्रदेश के लिए एक अहम राजनीतिक और संसदीय उपलब्धि माना जा रहा है।

याचिका समिति संसद की प्रमुख समितियों में शामिल है, जो आम नागरिकों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक मामलों पर विचार-विमर्श करती है। समिति विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सरकार और संसद को सुझाव एवं सिफारिशें देती है।

राजनीतिक हलकों में हर्ष महाजन की इस नियुक्ति को उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और संसदीय अनुभव का सम्मान माना जा रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर उनकी गहरी समझ अब समिति के कार्यों में भी योगदान देगी।

समिति के अध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। समिति में विभिन्न राज्यों के सांसदों को शामिल किया गया है, जो जनहित से जुड़े मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण से यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे प्रदेश से जुड़े मुद्दों और जनता की आवाज़ को संसद की प्रमुख समितियों में अधिक प्रभावी तरीके से उठाने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी।

पंचायत चुनाव में बगावत पर भाजपा का बड़ा एक्शन, 28 नेताओं से छीने संगठनात्मक पद

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के बीच भारतीय जनता पाटह ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कारवाई करते हुए अपने ही 28 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि ये नेता जिला परिषद चुनावों में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस कारवाई ने साफ संकेत दे दिया है कि पंचायत चुनावों में भाजपा अब किसी भी स्तर की बगावत या भीतरघात को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अनुमति से यह निर्णय लिया गया। पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन हित, अनुशासन और अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। भाजपा ने इसे 'संगठन विरोधी गतिविधि' बताते हुए कहा कि पार्टी विरोधी आचरण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारवाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हैं। सूची में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, आईटी सेल और विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े नेता शामिल हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि पंचायत चुनावों में टिकट वितरण और स्थानीय समीकरणों को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत और जिला परिषद चुनाव भले ही गैर-दलीय आधार पर होते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हैं। ऐसे में अधिकृत समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी नेताओं का मैदान में उतरना भाजपा नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती बन गया था। यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव के बीच कड़ा संदेश देने के लिए सार्वजनिक कारवाई का रास्ता चुना।

सूची में शामिल कई नाम ऐसे हैं जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इनमें सरिता वर्मा, देवांश चंदेल, रोहित ठाकुर और सुमन चौहान जैसे नाम भी शामिल हैं। इससे यह कारवाई केवल औपचारिक चेतावनी नहीं बल्कि संगठनात्मक सख्ती के रूप में देखी जा रही है।

भाजपा ने अपने बयान में यह भी कहा कि भविष्य में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कारवाई जारी रहेगी। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करने और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।

हालांकि राजनीतिक तौर पर यह मामला भाजपा के लिए दोहरी चुनौती भी पैदा कर सकता है। एक ओर पार्टी अनुशासन का संदेश देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर इतने बड़े पैमाने पर भीतरघात सामने आना यह संकेत भी देता है कि पंचायत चुनावों में टिकट और स्थानीय नेतृत्व को लेकर असंतोष गहरा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह सख्ती संगठन को मजबूत करती है या भीतर की नाराजगी को और बढ़ाती है।

नूरपुर के तीन पदाधिकारियों पर भाजपा की अनुशासनात्मक कारवाई

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने जिला परिषद चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे तीन पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अनुमति से यह कारवाई की गई। दायित्वों से मुक्त किए गए नेताओं में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के काहन सिंह, गुलावंत सिंह और शामशेर सिंह शैल शामिल हैं। भाजपा ने कहा कि पार्टी अनुशासन और अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन से ऊपर कोई नहीं है तथा भविष्य में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्त कारवाई जारी रहेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

पंचायत चुनाव अब स्थानीय नहीं रहे प्रदेश की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बने

राज्यपाल के दरबार पहुंचा चुनावी विवाद

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव अब केवल स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं रह गये हैं, बल्कि यह लड़ाई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक मर्यादाओं और राजनीतिक नैतिकता के बड़े सवालों तक पहुंच गई है। भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपा गया विस्तृत ज्ञापन साफ संकेत देता है कि प्रदेश की राजनीति अब सीधे 'जनादेश बनाम सरकारी हस्तक्षेप' की बहस में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं कि चुनावी प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव, कैबिनेट फैसलों और प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

भाजपा का सबसे बड़ा आरोप यह है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद 22 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे फैसले लिये गये जो सीधे तौर पर मतदाताओं, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं को प्रभावित करते हैं। 1500 रूपये योजना में बदलाव, हजारों भर्तियों की मंजूरी, मानदेय वृद्धि, प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और नए कार्यालयों की घोषणाओं को भाजपा ''मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उठाए गए राजनीतिक कदम'' बता रही है। सवाल यह नहीं है कि ये फैसले जनहित में हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या चुनावी प्रक्रिया के दौरान ऐसे निर्णय लोकतांत्रिक निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं?

राजनीतिक रूप से देखा जाये तो कांग्रेस सरकार एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में सत्ता विरोधी माहौल की चर्चा पहले से चल रही है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि नगर परिषदों और नगर पंचायतों में उसके समर्थित उम्मीदवार बढ़त में हैं। ऐसे समय में सरकार द्वारा बड़े फैसले लेना विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दे रहा है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को 'हार के डर में नियम बदलने की कोशिश' के रूप में पेश कर रही है।

ज्ञापन में उठाया गया दूसरा गंभीर मुद्दा स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संभावित बदलाव का है। भाजपा का आरोप है कि सरकार चुनाव परिणाम आने के बाद सत्ता संतुलन बदलने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए बैकडोर तरीके से नियमों में संशोधन करना चाहती है। यदि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदले जाते हैं तो यह केवल राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा, बल्कि संवैधानिक बहस का विषय बन सकता है। यही कारण है कि भाजपा ने संविधान के अनुच्छेद 243-U और 243-ZA का हवाला देते हुए इसे स्थानीय स्वशासन की आत्मा पर हमला बताया है।

इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है, विजिलेंस मामलों और तबादलों का डर दिखाया जा रहा है तथा राजनीतिक समर्थन बदलने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव डाला जा रहा है। यदि इन आरोपों में सच्चाई साबित होती है तो यह हिमाचल की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए गंभीर संकेत होंगे, क्योंकि अब तक प्रदेश अपेक्षाकृत शांत और संस्थागत राजनीति वाला राज्य माना जाता रहा है।

कांग्रेस सरकार का तर्क है कि नगर निकाय चुनाव 17 मई को संपन्न हो चुके हैं, इसलिए कैबिनेट के फैसलों को आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जा रहे, इसलिए सरकारी निर्णयों को सीधे चुनावी लाभ से जोड़ना उचित नहीं है। केबिनेट के फैसले प्रशासनिक और विकासात्मक जरूरतों के तहत लिए जाते हैं और राज्य की नीतिगत प्रक्रिया को चुनावों के कारण पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन चुनावी माहौल में समय और संदेश दोनों राजनीति तय करते हैं। यही कारण है कि विपक्ष को सरकार को 'लोकलुभावन फैसलों' के मुद्दे पर घेरने का मौका मिल गया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है क्या स्थानीय निकाय चुनाव अब वास्तव में गैर-दलीय रह गए हैं? कानूनी तौर पर भले चुनाव चिन्ह न हों, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता, उम्मीदवारों की खुली राजनीतिक पहचान और सत्ता संतुलन की लड़ाई यह साबित कर रही है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव अब सीधे राज्य की बड़ी राजनीति का विस्तार बन चुके हैं।

अब निगाहें राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि राज्यपाल इस ज्ञापन पर कोई संवैधानिक कदम उठाते हैं या चुनाव आयोग सक्रिय होता है, तो यह विवाद और गहरा सकता है। वहीं यदि सरकार अपने फैसलों को प्रशासनिक अधिकार बताकर आगे बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा अदालतों तक भी पहुंच सकता है।

स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब केवल वोटों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता, संवैधानिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक नैतिकता की भी बन चुकी है।

दो से ज्यादा मीटर वाले घरों से सब्सिडी हटाने पर विपक्ष हमलावर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुक्खू सरकार पर चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करने वाली कांग्रेस अब जनता को भारी-भरकम बिजली बिल थमा रही है। भाजपा ने इसे 'जनता के साथ सीधा विश्वासघात' करार देते हुए कहा कि सरकार की नई नीति का सबसे बड़ा असर गरीब, मध्यम वर्ग और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों पर पड़ा है।

भाजपा के अनुसार, सरकार द्वारा दो से अधिक बिजली मीटर वाले घरों पर सब्सिडी समाप्त करने के फैसले ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों किराएदारों और छोटे परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले जिन उपभोक्ताओं को बेहद कम या शून्य बिजली बिल मिलते थे, अब उन्हें सैकड़ों और हजारों रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब तीन लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं।

विपिन परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावों के दौरान लोकलुभावन घोषणाएं कर सत्ता में आई, लेकिन अब आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। भाजपा का कहना है कि बिजली के साथ-साथ पानी, डीजल, बस किराए और अन्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी कर सरकार आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। भाजपा ने यह भी मुद्दा उठाया कि जिन मकानों में कई किराएदार रहते हैं, वहां सब्सिडी खत्म होने से मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो रही है।

राजनीतिक रूप से यह मुद्दा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान मुफ्त बिजली को प्रमुख गारंटी के रूप में पेश किया था। अब विपक्ष इसी वादे को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को गांव-गांव और शहर-शहर तक ले जाएगी।

दूसरी ओर इस पर सरकार का तर्क है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सब्सिडी सीमित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि विपक्ष इसे 'आर्थिक सुधार' नहीं बल्कि 'जनता पर अतिरिक्त बोझ' बता रहा है। आने वाले समय में बिजली सब्सिडी का यह विवाद हिमाचल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है।